बालमेडियाज एस्टेट के कर्मचारीगण

बनाम

प्रबंधन बालमैडियाज एस्टेट और अन्य

(2006 का सी. ए. सं. 2435)

18 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जे जे.)

श्रम कानूनः

घरेलू जांच-चोरी करने के लिए बर्खास्तगी,दो अन्य श्रमिकों की साक्ष्य के आधार पर- श्रम न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपास्त किया गया कि जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन नहीं किया गया -उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि श्रम न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवेचन विकृत था-की शुद्धता-अभिनिर्धारितः शुद्ध-घरेलू जांच में, दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किया जा सकता है और दुराचार का प्रमाण पर्याप्त है- घरेलू जांच की कार्यवाही में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। हालांकि निष्पक्षता के सिद्धांत लागू होंगें -दोनों गवाहों ने कथन किया कि अपचारियों द्वारा उनकी व अन्य की भी उपस्थिति में जुर्मस्वीकारोक्ति दी गई थी। -इस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं थी-अपचारी द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद भी कोई शिकायत नही कि गई

कि उन्हें जुर्म स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर किया गया-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एस. 11ए-साक्ष्य अधिनियम, 1872 ।

चोरी के आरोप में दो श्रमिकों को आरोप पत्र जारी किया गया था। एक जाँच आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने एम डब्लयू एस.1 और 2 की साक्ष्य दर्ज होने तक भाग लिया था। एम. डब्ल्यू. 1 की दोनों श्रमिकों द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। उनमे से किसी ने भी एम. डब्ल्यू. 1के कथनों की शुद्धता कि उन्होने उसकी उपस्थिति मे पुलिस के सामने जुर्मस्वीकारोक्ति की थी, पर प्रश्न नही किया।एम. डब्ल्यू.-1 का बयान निर्विवाद था। एम. डब्ल्यू.-2 ने एम. डब्ल्यू.-1 के कथन की पुष्टि की। अपचारियों ने गवाहो के प्रतिपरीक्षण के बाद जांच मे भाग नही लिया। जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि दोनो अपचारियों ने चोरी की थी। इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विवाद श्रम न्यायालय को प्रेषित गया था, जिसने अभिनिर्धारित किया कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य यह प्रर्दशित करने के लिए नही थी कि दोनो श्रमिको ने चोरी की थी और जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन नही किया गया और दोषी होने का निष्कर्ष कमजोर साक्ष्य पर आधारित था। अधिनिर्णय को नियोक्ता द्वारा रिट याचिका दायर कर चुनोती दी गई। उच्च न्यायालय ने समान धारणा को अनुज्ञात किया कि श्रम न्यायालय प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ध्यान देने मे विफल रही है विशेष रूप से एम डब्ल्यू एस 1 और 2 की साक्ष्य पर। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. विधि मे धारा 11 ए के समावेश के बाद औद्यौगिक वाद अधिनियम के अधीन श्रम न्यायालय की शक्ति का विस्तार हुआ है। साक्ष्य जिस पर घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया है और किसी दिये गये मामले में इस तरह के विचार पर निष्कर्ष पर पहूॅचते है, श्रम न्यायालय की व्यापक शक्ति को देखते हुए यह एक उचित केस मे घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा तय किये गये निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष दे सकता है। घरेलू जांच मे साक्ष्य के मुल्याकंन के लिए उसी मानदण्ड को लागू नही किया जा सकता है जो कि एक सिविल न्यायालय कर सकता है।जब उसके सामने अभियोग लाया जाता हैै। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 घरेलू जांच की कार्यवाही में लागू नही होता है हालांकि निष्पक्षता के सिद्धान्त को लागू करना है।यह निष्पक्ष रूप से प्रतिपादित है कि घरेलू जांच में दोष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही किया जा सकता हैै और दुराचार का सबूत पर्याप्त होगा। एक घरेलू जांच मे सभी सामग्री जो कि तार्किक रूप से प्रमाणक है जिसमे अनुश्रुत साक्ष्य को शामिल करते हुए जिस पर आधारित हुआ जा सकता है उपबंधित है कि यह उचित अन्तर्सम्बन्ध और विश्वसनियता रखता है।(पैरा 7 -8) (871-जी; 872-बी,ई)

मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर को- भारत (पीवीटी) लिमिटेड के कर्मचारी बनाम प्रबंधन और अन्य (1973) 1 एससीसी 813; साधु राम

बनाम दिल्ली परिवहन निगम (1983) 4 एससीसी,156; इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम आई. ओ. बी. स्टाफ कैंटीन वर्कर्स यूनियन और अन्य (2000) 4 एससीसी 245; जे. डी. जैन बनाम प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (1982) 1 एस. सी. सी. 143-पर निर्भर।

2. एम. डब्ल्यू. एस. 1 और 2 ने कथन किया था कि स्वीकारोक्ति दोनों अपचारियों द्वारा उनकी उपस्थिति में और अन्य लोगों की उपस्थिति में की गई थी, का क्या प्रभाव था। इस संबंध मे कोई प्रति परीक्षण नही था। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी अपचारियों द्वारा कोई शिकायत नही कि गई थी की किसी धमकी के कारण उन्हे कथन देने के लिए मजबूर किया गया था। यहां तक कि जब उन्होने गवाहो से प्रति परीक्षण किया उन्होने यह सुझाव भी नही रखा कि जो भी गवाहो ने कहा वह गलत था। श्रम न्यायालय के निष्कर्ष विकृत थे और विधि की गलत धारणा पर आधारित थे। इसलिए उच्च न्यायालय में सही प्रेक्षण किया कि साक्ष्य को श्रम न्यायालय द्वारा किये गये तरीके से अनदेखा नही किया जा सकता था। (पैरा 10) ,(872-जी ; 873- ए ,बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2345/2006

मद्रास उच्च न्यायालय की रिट अपील नम्बर 409/1997 के दिनांक 26.09.2003 के अंतिम निर्णय और आदेश से ।

अपीलार्थी के लिए सी. के. चंद्रशेखरन और एसआर सेतिया।

जी. उमापति, राकेश के. शर्मा और बनाम उत्तरदाताओं के लिए रामसुब्रमण्यम।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश से खारिज कर दिया गया, को इस अपील में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1987 की रिट याचिका संख्या 589, मे परित आदेश के विरूद्ध रिट अपील दायर की गई ।

2. दिनांक 15.12.1980 को दो श्रमिक-स्टीफन और नल्लुसामी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया था जिसमे यह आरोप लगाया गया था कि प्रबंधक को सूचना मिली थी कि उन्होंने 100 लीटर एस्टेट से संबंधित ग्रामोक्सिन खरपतवारनाशक रसायन को 29.11.1980 और 02.12.1980 के बीच की अवधि के दौरान भंडार कक्ष से चुरा लिया था। दोनों कर्मचारियों ने उस नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कोई कदाचार नहीं किया था जैसा कि नोटिस में आरोप लगाया गया है। इसके बाद, एक जांच आयोजित की गई जिसमें उन्होंने एम. डब्ल्यू. एस 1 और 2 की साक्ष्य तक भाग लिया। उन्होने दोनो गवाहो से प्रति परीक्षण भी किया।

3. एम. डब्ल्यू. 2 की प्रतिपरीक्षा के बाद, स्टीफन ने कहा कि उन्हें जाँच में कोई भरोसा नहीं था और वे जाँच से बाहर चले गए। इसके बाद

दूसरे श्रमिक, नल्लुसामी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 6.12.1980 को जब वे एस्टेट मे काम कर रहे थे, कुछ श्रमिको को प्रबंधक से मिलने के लिए कहा गया था और उस समय एक महिला ने उसे पहचान किया कि उसने चोरी की थी। उसने कहा कि वह किसी अन्य के निर्देशों की पालना कर रही थी और उसने पुलिस से अनुनय किया था कि उसने चोरी नही की थी। इसके बाद उसने कहा कि पुलिस ने उसे पीटा और फिर पुनः उस महिला ने उसकी पहचान की और उसके बाद उससे पूछा गया कि अपराध के लिए उसके साथ कौन-कौन थे। तब उसने कहा कि पर्यवेक्षक स्टीफन उनके साथ थे। एम. डब्ल्यू. 1 ईश्वर दास था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि एम. डब्ल्यू. 1 की स्टीफन और नल्लुसामी दोनों द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी। दोनों में से किसी ने भी एम. डब्ल्यू. 1 के कथन की शुद्धता कि उन्होंने पुलिस के समक्ष उसकी उपस्थिति में चोरी करना स्वीकार किया जब वह उसके घर गया भंडार कक्ष का ताला खोला, को प्रश्नगत नही किया। इस प्रकार एम. डब्ल्यू. 1 का कथन निर्विवाद था।

4. एम. डब्ल्यू. 2 सीथारमन ने एम. डब्ल्यू. 1 के कथन की पुष्टि की। गवाहों द्वारा साक्ष्य देने और उनसे जिरह करने के बाद, अपचारियों ने जाँच में भाग नहीं लिया। इसके बाद तीन अन्य गवाहों को परिक्षित किया गया, जिनमें से एक गवाह मैरी थी जिसने अभियुक्तगण की पहचान की थी। जाँच के समापन पर जांच अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों

अपचारियों ने चोरी की थी और उसके बाद कर्मचारियों को दिनांक 28.03.1981 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। श्रमिकों के कहने पर न्यायनिर्णयन के लिए विवाद को श्रम न्यायालय, कोयम्बटूर को भेजा गया। जांच की वैद्यता के बारे में एक प्रारम्भिक विवाद उत्पन्न हुआ। श्रम न्यायालय ने इस रूख को खारिज कर दिया और दिनांक 31.12.1984 के विस्तृत आदेश के द्वारा अभिनिर्धारित किया कि घरेलू जांच उचित रेखाओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान मे रखते हुए अंतिम अधिनिर्णय दिनांक 06.08.1985 को दिया गया था। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थी कि दोनों श्रमिकों ने चोरी की थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता ने स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत नही किया और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नही थी कि दिनांक 04.12.1980 से पूर्व कितनी बार भंडार कक्ष खोला गया। श्रम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निष्कर्ष दिया गया कि साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन जांच अधिकारी द्वारा नही किया गया और दोष का निष्कर्ष बहुत ही कमजोर साक्ष्य पर आधारित था। अधिनिर्णय को नियोक्ता और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा चुनौती दी गई, अभिनिर्धारित किया कि श्रम न्यायालय प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ध्यान देने मे विफल रहा था, अधिक विशेष रूप से एम. डब्ल्यू. एस. 1 - 2 की साक्ष्य पर और अभिनिर्धारित किया कि श्रम न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का विवेचन विकृत था और श्रम न्यायालय का बर्खास्तगी के आदेश मे दखल विधी मे

असमर्थनीय था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील में यह रुख था कि एम. डब्ल्यू. एस. 1 - 2 की साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था,यह भी प्रस्तुत किया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 11 (ए) के तहत श्रम न्यायालय के पास शक्ति है कि वह साक्ष्य का पुनः विवेचन करे। इसलिए उच्च न्यायालय को श्रम न्यायालय की एक याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारत के संविधान 1950 (संक्षेप में संविधान) में दखल नही करना चाहिए।

5. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश मे कोई सार नही पाया और रिट अपील को खारिज कर दिया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को दोहराया।

7. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश का समर्थन किया। अधिनियम मे धारा 11 ए के विधी मे समावेश करने के बाद अधिनियम के अधीन श्रम न्यायालय की शक्ति का व्यापक विस्तार हुआ है। इस न्यायालय ने द वर्कमेन ऑफ मेसर्स फायर स्टोन टायर और रबर को. आफ इण्डिया (पीवीटी.) लिमिटेड बनाम प्रबंधन और अन्य प्रबंधन और अन्य (1973 (1) एससीसी 813), और साधु

राम बनाम दिल्ली परिवहन निगम (1983 (4) एस. सी. सी. 156), और भारतीय ओवरसीज बैक बनाम आई. ओ. बी. स्टाफ कैंटीन श्रमिक संघ और अन्य (2000 (4) एस. सी. सी. 245) ,में इस पर बल दिया था।

8.अब यह काफी अच्छे तरीके से सुस्थापित है कि साक्ष्य जिस पर घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया है और किसी दिये गये मामले में इस तरह के विचार पर निष्कर्ष पर पहूंचते है। श्रम न्यायालय की व्यापक शक्ति को देखते हुए यह एक उचित केस मे घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा तय किये गये निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष दे सकता है। घरेलू जांच मे साक्ष्य के मुल्यांकन मे उसी मानदण्ड को लागू नही किया जा सकता है जो एक सिविल न्यायालय कर सकती है जब उसके सामने अभियोग लाया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") घरेलू जांच की कार्यवाही में लागू नही होता है जहां तक की घरेलू जांचों का संबंध है हालांकि निष्पक्षता के सिद्धान्त को लागू करना है। यह निष्पक्ष रूप से प्रतिपादित है कि घरेलू जांच में दोष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता हैै और दुराचार का सबूत पर्याप्त होगा। एक घरेलू जांच मे सभी सामग्री जो कि तार्किक रूप से प्रमाणक है जिसमे अनुश्रुत साक्ष्य को शामिल करते हुए जिस पर आधारित हुआ जा सकता है उपबंधित है कि यह उचित अन्तर्सम्बन्ध और विश्वसनियता रखता है।

9. जे.डी. जैन बनाम मैनेजमेंट आफ स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य (1982) 1 एससीसी 143 में अभिनिर्धारित किया गया था कि लगभग एक समान तथ्यात्मक पृष्ठभूमि मे, जुर्म स्वीकारोक्ति साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के बावजूद, अपचारी को दुराचार का दोषी ठहराने और पारित किये गये बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त था।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि एम. डब्ल्यू. एस. 1 और 2 ने कथन किया था कि स्वीकारोक्ति दोनों अपचारियों द्वारा उनकी उपस्थिति में और अन्य लोगों की उपस्थिति में की गई थी। इस संबंध मे कोई प्रति परीक्षण नही था। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी अपचारियों द्वारा कोई शिकायत नही कि गई थी कि किसी धमकी के कारण उन्हे बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। यहां तक कि जब उन्होने गवाहो से प्रति परीक्षण किया, उन्होने यह सुझाव भी नही रखा कि जो भी गवाहो ने कहा, वह गलत था। श्रम न्यायालय के निष्कर्ष विकृत थे और विधि की गलत धारणा पर आधारित थे। इसलिए उच्च न्यायालय में सही प्रेक्षण किया कि साक्ष्य को श्रम न्यायालय द्वारा किये गये तरीके से अनदेखा नहीं किया जा सकता था। एेसा होने पर, अपील निराधार है खारिज किये जाने योग्य है, जिसे हम निर्देश करते है। कोई खर्चा नहीं।

डीजी

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शशि गजराना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।